

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1881]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2014/भाद्र 26, 1936

No.1881]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2014/BHADRA 26, 1936

उपराष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 2014

का.आ. 2402(अ).—भारत के उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के कुलाधिपति की हैसियत से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, (पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर-भाग-1, 2005) धारा 13 (1) (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. रजत सन्धीर को अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की हैसियत से डॉ. देविन्दर सिंह द्वारा रिक्त हुए स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट के सामान्य अध्येता के रूप में दिनांक 12 अगस्त, 2014 से उनकी अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अवधि के लिए या 31 अक्तूबर, 2016 तक के लिए, जो पहले समाप्त हो, सहर्ष नामांकित किया है।

[सं. उ.रा.स.-15/02एस-3 व 4/2012-2016]

स्वशपवन सिंह, भारत के उपराष्ट्रपति और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2014

S.O. 2402(E).—The Vice-President of India in his capacity as the Chancellor of Panjab University has been pleased under the powers vested in him by Section 13(1)(j) of the Panjab University Act of (Panjab University Calender Vol. I, 2005) to nominate Dr. Rajat Sandhir, Professor, Department of Biochemsitry, Panjab University, Chandigarh in his capacity as the President of the Panjab University Teachers' Association against the seat vacated by Dr. Devinder Singh as Ordinary Fellow to the Senate of the Panjab University from August 12, 2014 till the term as President of Panjab University Teachers' Association or till the present term of the Senate i.e. October 31, 2016, whichever is earlier.

[No. VPS-15/02/S-3&4/2012-2016]

SWASHPAWAN SINGH, Secy. to the
Vice-President of India & Chancellor
of the Panjab University